प्रेस विज्ञप्ति

17.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सेवन हिल्स पंबन आइलैंड रिसॉर्ट, रामेश्वरम में स्थित 60 होटल कमरें और खाली जमीन के रूप में **30 करोड़ रुपये** की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

ईडी ने मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, वेबसाइट टीपी ग्लोबल एफएक्स न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही इसके पास विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई से कोई प्राधिकरण है। आरबीआई ने 07.09.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट सूची भी जारी की है, जिसे अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आम जनता को सावधान करने के लिए प्रकाशित किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि प्रसेनजीत दास, तुषार पटेल और शैलेश कुमार पांडे जैसे व्यक्तियों द्वारा कई फर्जी कंपनियों का उपयोग करके निवेशकों को टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके एक धोखाधड़ी योजना में फंसाने के लिए एक परिष्कृत धोखाधड़ी की गई थी। इसके अतिरिक्त, IX ग्लोबल के निदेशक और प्रमोटर, अर्थात् विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज ने सक्रिय रूप से टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा ब्रोकर के रूप में बढ़ावा दिया। IX ग्लोबल के सदस्य और उपयोगकर्ता अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स ब्रोकरेज सेवाओं को नियोजित करते हैं।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि निवेशकों से जुटाए गए धन को तुषार पटेल और उनके सहयोगियों के नाम पर निजी संपत्तियां खरीदने में लगाया गया। यह सब जटिल तरीकों से किया गया, जिसमें फर्जी खातों के जरिए पैसे जमा करना और फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) की सेवाएं लेना शामिल है।

इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था और नकदी, रियल एस्टेट, आतिथ्य प्रतिष्ठान, कार्यालय स्थान, भूमि, वाहन, क्रिप्टो मुद्राएं और बैंक बैलेंस सहित 270 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त/जमा/संलग्न की थी। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष दो अभियोजन शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं और माननीय न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।